म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.शासन का उपक्रम,)सीआईएन:यू40109एमपी 2001एसजीसीओ14880
पंजी. कार्या: ब्लाक नं. 2,शक्ति भवन, रामपुर,जबलपुर(म.प्र.)482008,दूरभाष:(0761)2702036,2702041
फैक्स:(0761) 2664450 ई.मेल: ce.ca@mptransco.nic.in, वेब साइट:mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/ दिनांक

प्रति,

श्री ———————————

———————————

———————————

———————————

विषय :— अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 (पुनरीक्षित) के तहत् अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भ:— आपका आवेदन पत्र दिनांक ——————

***

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने बाबत् आवेदन पत्र उचित माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । अनुकंपा नियुक्ति नीति में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर एवं आपके आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप —————— के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं, किन्तु वर्तमान में रिक्त पद की अनुपलब्धता के कारण अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है, तथापि आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है ।

अतः कम्पनी में आगामी रिक्तियाँ/ अनुमोदित पद उपलब्ध होने तक आपका आवेदन लम्बित रखा जाता है । संशोधित अनुकम्पा नीति के आधार पर पद उपलब्ध न होने की स्थिति में आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन भी कर सकते हैं :—

विकल्प एक — <u>योग्यता अनुरूप पद हेतु, प्रतीक्षा सूची में बने रहना:—</u>

(अ) पुराने प्रकरणों (दिनांक 10.04.2012 के पूर्व के पात्र प्रकरणों) हेतु:—
नीति जारी होने की दिनांक 12.01.2015 से 03 वर्ष की अवधि तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

(ब) कंपनी के प्रकरणों (दिनांक 10.04.2012 से बाद के प्रकरणों) हेतु:—
कम्पनी सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष की अवधि तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

विकल्प दो —दिवंगत कम्पनी सेवक की पत्नि/ आश्रित के लिये तृतीय श्रेणी गैर कार्यपालिक (लिपिक वर्गीय) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये कम्पनी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष का समय दिया जावेगा । निर्धारित समयावधि (इस पत्र के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक) में तृतीय श्रेणी के चिन्हित पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण) अर्जित करने पर अनुकंपा नियुक्ति में निहित नियमों एवं शर्तो के अधीन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी ।

विकल्प तीन — अनुकंपा नियुक्ति पद रिक्त न होने पर एवं आवेदक को पूर्ववर्ती म.प्र. विद्युत मण्डल/म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 01—07/छः/सीएफए/4822 दिनांक 05.08.2006 के तहत् अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया हो तो लिखित सहमति देने पर मृतक कर्मचारी को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर मृतक कर्मचारी के पति/पत्नि या उनके जीवित न होने पर उनके परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर मृत कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन 05 (पाँच) वर्ष की अवधि अथवा मृत कार्मिक की अधिवार्षिकी आयु/सेवानिवृत्ति दिनांक तक जो भी पहले हो, तक जारी रखा जायेगा ।

यह राशि संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी । यह सुविधा तभी दी जावेगी जब मृतक का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानो के अनुसार पात्रता रखता हो और पद उपलब्ध न होने के कारण इस विकल्प को चुनता हो । तथापि इस विकल्प का चयन करने पर भविष्य में पद रिक्त होने पर भी आवेदक के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

विकल्प चार – दिवंगत कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता चतुर्थ श्रेणी पद हेतु भी नहीं होने पर एवं विकल्प तीन के अन्तर्गत अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं लिये जाने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एक मुश्त ₹ 1,00,000/– (₹ एक लाख मात्र) की अनुकंपा सहायता प्रदान कर अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण निराकृत माना जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर पत्र जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में अपनी लिखित सहमति प्रेषित करने का कष्ट करें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि आपने उपरोक्त किसी विकल्प का चयन नहीं किया है, एवं वर्तमान में आप जिस पद के योग्य पाये गये है, अनुकंपा नियुक्ति नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही हेतु सहमत है ।

मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफ़ेयर्स)
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/ दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. कार्य. निदेशक/मुख्य अभियंता(..),म.प्र. पॉ.ट्रांस.क.लि.,जबलपुर
2. अति. मुख्य/अधीक्षण अभियंता(..),म.प्र. पॉ.ट्रांस.क.लि.,
3. कार्यपालन अभियंता (..),म.प्र. पॉ.ट्रांस.क.लि.,..................................
4. सहायक अभियंता(..)म.प्र. पॉ.ट्रांस.क.लिमिटेड,..............................
5. श्री/श्रीमति/कुमारी ....
   द्वारा ....

– आवेदक को पत्र सौंपकर उसकी पावती इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

अधीक्षण अभियंता
कार्या.मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफ़ेयर्स)
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर